संख्या-37/2017/11ई/23-11-2017-1/2(51)/2016

प्रेषक,

डॉ0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ : दिनांक 02 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला मुख्यालय को 04 लेन मार्ग से जोड़े जाने की योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला मुख्यालय को 04 लेन मार्ग से जोड़े जाने की योजनान्तर्गत जनपद फिरोजाबाद के स्वीकृत कार्य के सापेक्ष अनुदान सं0-83 मद में अवशेष एवं 58/83 मद से अतिरिक्त धनावंटन निम्नलिखित विवरण/ शर्तो के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	2016-17 में किया गया आवंटन	वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त धनावंटन		कुल धनावंटन
				अनुदान सं0-58 का अंश	अनुदान सं0-83 का अंश	
1	2	3	4	5	6	7
1	जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद भोगांव मार्ग (राज्य मार्ग सं0-84) के चैनेज 0.00 से 11.500, 13.500 से 16.800, 18.200 से 21.00 (17.600 कि0मी0) एवं ग्राम अरांव (2.50 कि0मी0) ग्राम भरौल (1.70 कि0मी0) में बाईपास मार्ग का 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 21.800 कि0मी0)।	19297.65	3860.00	700.00	968.00	1668.00

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आबंटित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आबंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

PhotoCopy attested

http://shasanadesh.nic.in

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आबंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपरिक्षित लेखा दिनांक 30-04-2017 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेगी।

(4) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1341-जिला मुख्यालयों को 04 लेन से जोड़े जाने हेतु मार्गो का निर्माण/चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण के नये कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-25-जिला मुख्यालय को 04 लेन मार्गो से जोड़े जाने हेतु मार्गो का निर्माण/चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण के नये कार्यो हेतु-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 के आलोक में जारी किया जा रहा है।

भवदीया,

(डॉ0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-37/2017/11ई(1)/23-11-2017-1/2(51)/2016-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम् (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
6- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
11- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव।